



2026:AHC:49913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 986/2026

नरेन्द्र बहादुर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अलख नारायण शुक्ला, जय शंकर मिश्र

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रमेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जय शंकर मिश्रा, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला और याची के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल को सुना गया।

2. वर्तमान जनहित याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:-

“(1) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह याची द्वारा दिनांक 08.09.2025 को प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3) का निस्तारण इस माननीय न्यायालय द्वारा यथोचित एवं उपयुक्त समझी जाने वाली समयावधि के भीतर करे, जैसा कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित हो;

(II) अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी करते हुए, उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा वाद संख्या 11353/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T202215060111353 रिपोर्ट बनाम संतोष में उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.07.2025 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर, दिनांक 08.09.2025 के लंबित प्रार्थना पत्र के निर्णय तक, जो कि माननीय राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है, स्थगन प्रदान किया जाए।”

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि दीर्घकाल से दर्ज प्रविष्टि को उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाही में विलोपित नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याची के पूर्ववर्ती का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत वाद में दिनांक 14.02.1978 को पारित डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया था, अतः संक्षिप्त कार्यवाही की शुरुआत विधि की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अंतर्गत कार्यवाही की ग्राह्यता के संबंध में याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उपजिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पुनरीक्षण स्थगन प्रार्थना पत्र सहित राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लंबित पुनरीक्षण के त्वरित निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए तथा जब तक पुनरीक्षण राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, तब तक उपजिलाधिकारी के समक्ष चल रही कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किया जाए। उन्होंने आगे इस न्यायालय के निर्णय, 2007 (102) आरडी 498, अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जरिये कलेक्टर, बिजनौर एवं अन्य का हवाला दिया, यह दर्शाने के लिए कि अपील/पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, यदि अपील/पुनरीक्षणाधीन आदेश के गंभीर परिणाम होते हैं।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याची द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।

6. यह उल्लेखनीय है कि याची का नाम वादगत भूखंड पर याची का नाम 'उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत वाद में याची के पूर्वजों के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 14.02.1978 के आधार पर दर्ज है।

7. इस न्यायालय द्वारा अली शेर (उपर्युक्त) वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अपील या पुनरीक्षणाधीन आदेश के गंभीर परिणाम होते हैं, तो अपील/पुनरीक्षण लंबित रहने तक उस आदेश के संचालन को स्थगित किया जाना चाहिए। अली शेर (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद संख्या 4 एवं 5 प्रासंगिक हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

"4. यह सर्वविदित है कि एक बार जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी परिणामों वाले आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण पर विचार किया जाता है, तो सामान्यतः स्थगन आदेश दिया जाना चाहिए ताकि निर्णय की प्रक्रिया में कोई अनिश्चितता न रहे, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह न पाए कि स्थगन आदेश देने का कोई मामला नहीं बनता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूलचंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज 1982 3 एससीसी 484 मामले में कहा है।

5. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 16.11.2006 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का निपटारा विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह के

भीतर करे, और अपील के निपटारे तक, विवादित भूमि की प्रकृति और कब्जे के संबंध में पक्षकार यथास्थिति बनाए रखें। "

8. इस न्यायालय द्वारा अली शेर (उपर्युक्त) वाद में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार करते हुए, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण, वाद संख्या 4564 वर्ष 2025 का निस्तारण यथाशीघ्र, अधिमानतः इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण के लंबित रहने तक, वाद संख्या 11353/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202215060111353 रिपोर्ट बनाम संतोष, जो कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33/39 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़ के समक्ष लंबित है, की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026